जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, बेगूसराय
उपस्थित पीठासीन पदाधिकारी –श्री वेद प्रकाश मोदी

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, बेगूसराय
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1228 / 2026
राज्य बनाम् गोविंद सिंह उर्फ गोविंद कुमार

आदेश

15.07.2026 : प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन, आवेदकगण **गोविंद सिंह उर्फ गोविंद कुमार, पिता–सुनील सिंह, उम्र–30 वर्ष एवं मुरारी सिंह उर्फ मुरारी कुमार सिंह, पिता–स्व0 रामचन्द्र सिंह, उम्र–48 वर्ष** की ओर से दाखिल किया गया है जो **धारा–126(2), 115(2), 74, 308(4), 329(3), 352, 351(2), 3(5) B.N.S.** के अधीन दर्ज बेगूसराय, **तेघड़ा थाना काण्ड संख्या–164 / 2025** में पुलिस की गिरफ्तारी की आशंका से सशंकित हैं तथा उक्त वाद **वर्तमान में विद्वान मुख्य न्या0 दण्डा0, बेगूसराय के न्यायालय में लंबित है।**

अग्रिम जमानत आवेदन के पारा नंबर 2 पर एक प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदक अभियुक्तगण की ओर से इससे पहले न तो इस विद्वान न्यायालय के समक्ष और न ही माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष कानून के किसी भी प्रावधान के तहत कोई जमानत आवेदन दाखिल नहीं की थी।

अग्रिम जमानत आवेदन के पारा नंबर 3 पर यह प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदक अभियुक्त संख्या 1 गोविंद कुमार सिंह उर्फ गोविंद कुमार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है जबकि आवेदक संख्या–2 मुरारी सिंह उर्फ मुरारी कुमार सिंह के विरूद्ध कुल 6 आपराधिक इतिहास दर्ज है।

आवेदकगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री विजय कुमार महाराज तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री मनोज ठाकुर को सुना।

आवेदकगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदकगण के विरूद्ध लगाए गए सभी आरोप दुर्भावनापूर्ण रूप से झूठे है और आवेदकगण को उपरोक्त मामले में झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्ष आपस में निकट संबंध है और वे बाबू विशेश्वर नारायण सिंह के वारिस हैं। दोनों पक्षों के बीच बंटवारा को लेकर विवाद है। वर्तमान मामले के सूचक और उसके बेटे तथा अन्य ने स्वत्व वाद संख्या–187 / 16 के तहत टाइटल सूट दायर किया है जो सब जज प्रथम, बेगूसराय की अदालत में लंबित है। दीवानी मुकदमे को आपराधिक मामले के रूप में छिपाया गया है। सूचक आवेदक को हतोत्साहित करने और उन्हें झुकाने के उद्देश्य से तुच्छ याचिकाएं दायर करने का आदी हैं। आवेदकगण के विरूद्ध लगाए गए सभी आरोप जमानती है सिवाय धारा–74, 308(4) बी. एन. एस. को छोड़कर। आवेदकगण के विरूद्ध अभियोजन का कथन बिल्कुल ही झूठा एवं आधारहीन है। साथ ही आवेदक अभियुक्तगण न्यायायल द्वारा आरोपित सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है और उचित राशि के बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है। अंत में निवेदन करते हैं कि आवेदकगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान किये जाने का कृपा की जाए।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध करते हुए इसे खारिज करने की प्रार्थना करते हैं।

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, बेगूसराय
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1228 / 2026
राज्य बनाम् गोविंद सिंह उर्फ गोविंद कुमार

15.07.2026 : उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि सूचिका के ससुराल बरौनी फ्लैग में वह पति का पैतृक एवं उसके पुत्र वधु का केवाला का अचल संपत्ति है। वह अपने पूरे परिवार के साथ सर्वोदय नगर में रहती हैं। उसका सभी पुत्र बाहर रहते हैं वे लोग समय–समय पर गावं बरौनी फ्लैग जाती रहती है। सूचिका के फरीक मुरारी सिंह, पिता–रामचन्द्र सिंह एवं गोविंद सिंह पिता–सुनिल सिंह अपराधियों के सहयोग से उसके जमीन पर लगी फसल को जबरदस्ती काट लेते हैं जिससे सूचिका को आर्थिक नुकसान हो रहा है। पति के जमीन से मिट्टी कटवाकर बेच लेते हैं। उसके पैतृक डीह की जमीन व मकान का जबरदस्ती अतिक्रमण कर लिये है। उन लोगों के द्वारा विरोध करने पर हत्या कर देने एवं लाश गायब कर देने की धमकी देते है। फोन पर स्वयं एवं अपराधियों से धमकी दिलवाते हैं और कहते हैं कि अगर यहां के जमीन पर दावा करोगे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। मुरारी सिंह अपराधी पृष्टभूमि के व्यक्ति हैं। उनके विरूद्ध चार हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें प्रार्थनी के पुत्र द्वारा एस. डी. एम. तेघड़ा में भी 107 का केस भी किया था और भू–समान के माध्यम से भी सी0 ओ0 साहब को उक्त मामले कि जानकारी दी गई। उनके द्वारा जिस जमीन पर विवाद उत्पन्न किया जा रहा है उस संबंध में वैध कागजात की बराबर मांग करने पर पिछले दो बर्षों से टाल–मटोल किया जा रहा है और बराबर अतिक्रमण का दायरा बढ़ाया जा रहा है। इनके विरूद्ध तेघड़ा थाना कांड संख्या–133 / 98, 173 / 99, 188 / 2002, 208 / 2002, 66 / 2003, 37 / 2005 दर्ज है जो लड़ाई–झगड़ा रंगदारी एवं हत्या से संबंधित है। वर्तमान में मुरारी सिंह जमानत पर है। 188 / 2002 में गवाह को भी जान से मारने की धमकी मुरारी सिंह द्वारा दी जा रही है। वर्ष 2003 से बराबर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हिस्से में मिले जमीन एवं घर छोर देने को लेकर गाली–गलौज धमकी दिया जा रहा है और हथियार के बल पर रंगदारी स्वरूप कब्जा कर लेने की बात बोल रहा है। दिनांक 01.06.2024को जब वह अपने गांव में अपने हिस्से के जमीन एवं घर को अपने पुत्र राजू प्रसाद एवं संजीव कुमार के साथ देखने गई तो अतिक्रमण पायी जिसके बारे में पूछने पर मुरारी सिंह एवं गोविंद सिंह के द्वारा अभद्र भाष का प्रयोग करते हुए धक्का–मुक्की करने लगे तो वह गिर भी गयी तो उसके पुत्रों द्वारा उठाया गया। तब मुरार सिंह एवं गोविंद सिंह के द्वारा हथियार के बल पर धमकी देते हुए बोले कि घर एवं जमीन रंगदारी में रख लिये हैं जो करना है करो। तब सूचिका सरपंच के पास मुद्दे को लेकर गयी तो वहां भी मुरारी सिंह द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया तथा सामाजिक पहल को लेकर भी नीरसता पायी गयी। उसके पुत्र वधु के तेघड़ा कि केवाला की जमीन पर भी दो बार कठरा वाले लोगों को हथियार के बल पर लोगों को भगा दिया है जिसका इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य उपलब्ध है। ज्ञात है कि वर्ष 2005–06 में इनके विरूद्ध प्रशासन के द्वारा सी.सी.ए. की भी अनुशंसा की गई। इनके विरूद्ध आवेदन संख्या–615 / 19.02.24 को जन निशकायत कोषांग से पुलिस अधीक्षक एवं सी. जे. एम. कोर्ट में सूचना पत्र संख्या–1760 / 24 दिया गया है। फिर दिनांक 22.05.25 को जनता दरबार में पुलिस महानिदेशक के समक्ष उपस्थित होकर आवेदन के माध्यम से अपनी समस्याओं को उनके समक्ष प्रस्तुत की है। दिनांक 24.05.25 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी बातों को रखी है।

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, बेगूसराय
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1228/2026
राज्य बनाम् गोविंद सिंह उर्फ गोविंद कुमार

15.07.2026 : वाद अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि काण्ड दैनिकी की कंडिका–26 में अभियुक्त/आवेदक संख्या 2 मुरारी सिंह के विरूद्ध कई आपराधिक इतिहास होने का जिक्र है और अग्रिम जमानत आवेदन के पारा–3 में भी यह स्वीकार किया है कि इनके विरूद्ध आपरधिक इतिहास दर्ज है जबकि अभियुक्त संख्या 1 गोविंद सिंह के विरूद्ध न तो अग्रिम जमानत में और न ही कांड दैनिकी की कंडिका–26 में कोई आपराधिक इतिहास का वर्णन किया गया है। काण्ड दैनिकी की कंडिका–2, 7, 14, में वादी एवं साक्षियों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया है। आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध सूचिका का आरोप है कि अभियुक्तगण जबरदस्ती उसकी जमीन पर कब्जा कर लिये हैं और जब वह गांव में अपने हिस्से की जमीन और घर को अपने पुत्र राजू प्रसाद एवं संजीव कुमार के साथ देखने गई तो उस पर अतिक्रमण पायी जिसके बारे में पूछने पर अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ गाली–गलौज और धक्का–मुक्की किया गया और इसके साथ ही धमकी दी गई। यह स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के बीच मामला जमीन विवाद से संबंधित है जिसे लेकर पूर्व में एक स्वत्व वाद संख्या–187/16 भी सूचिका द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध दाखिल किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदकगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदकगण/अभियुक्तगण **गोविंद सिंह उर्फ गोविंद कुमार, पिता–सुनील सिंह, उम्र–30 वर्ष एवं मुरारी सिंह उर्फ मुरारी कुमार सिंह, पिता–स्व0 रामचन्द्र सिंह, उम्र–48 वर्ष** की ओर से मो0 1000/–(दस हजार रुपये) का बंध पत्र एवं उसी समान राशि का दो प्रतिभू दाखिल करने के पश्चात् विद्वान न्यायालय की संतुष्टि पर अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त पर दिया जाता है कि आदेश की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर विचारण न्यायालय में आवेदक अभियुक्तगण आत्मसमर्पण करेंगे।

1. एक जमानतदार निकट संबंधी होंगे।

लेखापित
ह0/–
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्
बेगूसराय

प्रतिलिपि :– इस वाद से संबंधित निम्न न्यायालय में अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्
बेगूसराय